

हुगली नदी संबंधी पथ-नियम

कोलकाता पत्तन न्यास

नवंबर, 2011

निदेशक , समुद्री विभाग द्वारा जारी

हुगली नदी संबंधी पथ-नियम

**कोलकाता पत्तन न्यास
द्वारा प्रकाशित
नवंबर -2011**

**निदेशक , समुद्री विभाग
द्वारा जारी**

हुगली नदी संबंधी पथ-नियम

सामान्य

इन नियमों में उल्लिखित शब्द “ अंतर्राष्ट्रीय विनियम ” से अभिप्रेत है - वाणिज्य जलयान परिवहन (समुद्र पर टक्कर निवारण) संशोधन विनियम, 1965 (जी. एस. आर. 1169 दिनांक 11 अगस्त, 1965) ।

भाग -I

प्रकाश और आकृतियां

कर्षण प्रकाश नियम 1 पत्तन में प्रत्येक समुद्रगामी जलयान पर-

- (क) प्रतिगमन कर्षण किए जाने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 5 द्वारा अपेक्षित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ;
- (ख) अगल-बगल दोनों ओर बंधे जलयानों द्वारा कर्षण किए जाने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 3 द्वारा अपेक्षित केवल सफ़ेद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ।
- (ग) बगल में बंधे हुए एक जलयान द्वारा कर्षण किए जाने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 3 द्वारा अपेक्षित सफ़ेद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही कर्षक जलयान से परे बगल में समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ।

जलयान द्वारा प्रतिगमन कर्षण किए जाने और /या बगल में बंधे टग द्वारा कर्षण किए जाने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 10 द्वारा अपेक्षित सफ़ेद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ।

नियम 2 पत्तन में बगल में टग से बंधे प्रत्येक समुद्रगामी जलयान में किसी ऐसे प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जाएगी जिससे टग द्वारा प्रदर्शित प्रकाश की दृश्यता में अवरोध उत्पन्न हो।

नियम 3 पत्तन में किसी अन्य समुद्रगामी जलयान का कर्षण करनेवाले किसी समुद्रगामी जलयान द्वारा -

- (क) आगे से कर्षण किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम- 3 द्वारा विहित प्रकाश प्रदर्शित किया जाएगा ।
- (ख) बगल से कर्षण किए जाने पर कर्षण-स्थल से परे केवल बगल में समुचित प्रकाश प्रदर्शित किया जाएगा ।

नियम 4 पत्तन में कर्षण किए जानेवाले किसी समुद्रगामी जलयान पर अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम- 2(ii) में यथा उल्लिखित अतिरिक्त सफ़ेद -प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जाएगी ।

उथले पानी नियम -5

के ऊपर स्थित जलयानों और लंगर डाले हुए जलयानों के लिए प्रकाश

- (i) पत्तन में उथले पानी के ऊपर स्थित प्रत्येक समुद्रगामी जलयान द्वारा जलपथ में या उसके नजदीक -
- (क) रात्रि में अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 11 (ड) द्वारा यथापेक्षित प्रकाश प्रदर्शित किया जाएगा ; परंतु यह कि कर्षण किए जाने की स्थिति में कर्षण आरंभ होने पर तुरंत ऐसे जलयान द्वारा नियम 1 में यथापेक्षित प्रकाश भूमि पर प्रदर्शित किया जाएगा ;और

(ख) दिन में अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम-11 (ड) द्वारा यथाविहित आकृति बनाई जाएगी ।

(ग) कालपी रोड और हावड़ा पुल के बीच यानी अक्षांश 220-04'-51 " उ. से अक्षांश 220-35'-04 " उ. तक लंगर डाले हुए किसी जलयान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 11 (ग) में यथाउल्लिखित लंगर पर खड़े वाहक के प्रतीक का वहन नहीं किया जाएगा ।

भाग-II

निकर्षण संकेतक

नियम -6 हुगली नदी के बालू-रोध और पारक पर वस्तुतः निकर्षण कार्य में संलग्न सभी निकर्षक द्वारा –

(क) दिन में –

- (i) मस्तूल खड़ा रखने के रस्से पर या ऐसे स्थान पर एक लाल शंकु प्रदर्शित किया जाएगा जहां से वह अच्छी तरह दिखाई दे सकता है ।
- (ii) जहाँ पथ निर्धारित हैं , वहाँ हुगली नदी पर निकर्षकों के लिए यथाअंगीकृत, यार्ड-आर्म पर एक पथ संकेतक उस पथ को निर्दिष्ट करने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जिस पर वह कार्यरत है।
- (iii) निकर्षक की एक ओर जलमार्ग के बंद होने की दशा में एक लाल विषमकोण यार्ड-आर्म पर उस तरफ लगाया जाएगा जिस तरफ जलमार्ग बंद है।

(ख) रात में –

- (i) तीन लाल प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी जिनमें से एक अग्र मस्तूल शीर्ष पर और एक-एक प्रत्येक यार्ड –आर्म के बाहरी सिरे पर होगा ।
- (ii) जिस तरफ जलमार्ग बंद है, उस तरफ यार्ड-आर्म पर लाल प्रकाश के 6 फिट नीचे एक अतिरिक्त लाल प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ।

उपर्युक्त सभी प्रकाश कम से कम 2 मील दूर से क्षितिज के चारो ओर दिखाई पड़ने चाहिए ।

- (iii) जमीन पर 1 समुद्री मील से अधिक की गति से निकर्षण करनेवाले निकर्षक द्वारा उपर्युक्त प्रकाश के अतिरिक्त अपना पार्श्व प्रकाश प्रदर्शित किया जाएगा ।

- (iv) निकर्षक द्वारा कामकाजी प्रकाश का उपयोग भी किया जा सकता है।

(ग) कोहरा, धुंध, वर्षा , आँधी और इसी प्रकार दृश्यता को प्रतिबंधित करनेवाली किसी अन्य स्थिति में –

1 मिनट से अनधिक के अंतराल पर सीटी या भोंपू पर लंबी सिटी बजायी जाएगी और उसके बाद कम से कम 5 सेकेन्ड तक घंटी बजायी जाएगी ।

उपर्युक्त संकेत प्रदर्शित करने और ध्वनि उत्पन्न करनेवाले निकर्षकों को प्रतिबंधित जलयान माना जाएगा जिन्हें गुजरनेवाले जलयानों के रास्ते से नहीं हटाया जा सकता है।

(घ) किसी जलयान द्वारा बालू-रोध या पारक को दूर हटाने के लिए निकर्षक अपेक्षित होने पर वह अबाधित मार्ग की मांग करने के लिए "एस पताका पर 5 मखरूती झण्डा" फहराएगा, साथ ही सीटी या भोंपू पर लंबी सीटी बजाएगा।

(ङ) इसके प्रत्युत्तर में निकर्षक यह निर्दिष्ट करने के लिए जवाबी मखरूती झण्डा फहराएगा एवं छोटी सीटी बजाएगा कि उसके अपने पत्तन की ओर के जलमार्ग को अबाधित कर दिया गया है, या यह निर्दिष्ट करने के लिए छोटी सीटी बजाएगा कि उसके अपने स्टारबोर्ड की ओर के जलमार्ग को अबाधित कर दिया गया है।

भाग – III

पथ-नियम

प्रारम्भिक प्रत्येक जलयान का नौचालन एहतियात और सावधानी के साथ ऐसी गति और रीति से किया जाएगा जिससे अन्य जलयानों की सुरक्षा खतरे में न पड़े। उस जलयान के नौचालन में उस समय विशेष एहतियात और सावधानी बरती जाएगी जब वह ऐसे जलयानों के पास से गुजर रहा हो जो धँसे जलयानों या अन्य अवरोधों को हटाने में लगे हुए हैं।

नियम 7 हुगली नदी, कोलकाता पत्तन के रवीन्द्र सेतु (हावड़ा पुल) से अक्षांश 21°-14' उ. तक "समुद्र में टक्कर निवारण के लिए विनियम" के नियम 25 के अर्थान्तर्गत संकीर्ण जलमार्ग है।

नियम -8 रवीन्द्र सेतु से कालपी तक दिन में नौचालन करनेवाले सभी जलयान भार से लदे रहने और पूरी गति से चलने के दौरान अगले मस्तूल पर या अगले मस्तूल के संकेतक यार्ड-आर्म पर एक बॉल का वहन करेंगे। जब जलयान के इंजन कम गति पर चलाए जा रहे हों या जब जलयान की स्थिति में परिवर्तन किया गया हो तो बॉल को आधे राह तक नीचे कर दिया जाएगा।

नियम- 9 निम्नलिखित में जमीन के ऊपर 4 नॉट से अधिक की गति से किसी जलयान का नौचालन नहीं किया जा सकता है –

- (i) हल्दिया रीच
- (ii) बज बज
- (iii) राजबागान जेटी के ऊपर

यदि यह देखा जाए कि उपर्युक्त गति पर कोई जलयान तरंगायित हो रहा है जिससे लंगर-स्थल पर जलयानों का सर्वेक्षण करना पड़ सकता है तो उसकी गति को और कम किया जाएगा।

नियम-10 टग द्वारा नौचालन किए जानेवाले जलयानों को अबाधित नौचालन एवं साफ जलमार्ग की पूरी सुविधा प्रदान की जाएगी।

नियम -11 यदि कोई अन्य जलयान गार्डेन रीच जा रहा हो तो, ज्वार में के. पी. गोदी या उपर्युक्त लंगर-स्थल जानेवाले जलयान 2 छोटी सीटी बजाएँगे तथा लोअर कॉलेज सेंड बोया और के. पी. गोदी के बीच नदी के हावड़ा की ओर का मार्ग अपनाएँगे।

नियम -12 प्रत्येक मामले में हल्के भार ढोनेवाले जलयानों का नौचालन इस प्रकार किया जाएगा जिससे भारी बोझ लदे जलयान गहरे जलमार्ग का अबाधित उपयोग कर सकें ।

नियम - 13 कोई जलयान साँझ होने से लेकर सुबह तक हावड़ा पुल से हुगली प्वाइंट के पार तक किसी अन्य जलयान को अनुमति के बिना ओवरटेक नहीं करेगा ।

नोट सुबह से तात्पर्य सूर्योदय के आधा घंटा पहले से है ।
साँझ होने से तात्पर्य सूर्यास्त के आधा घंटा बाद से है।

नियम -14 कोई जलयान एक दूसरे के खिलाफ रेस करने या उसके लिए प्रयास करने की चेष्टा नहीं करेगा । जब दो जलयान एक ही दिशा में परंतु असमान गति से आगे बढ़ रहे हों तो धीमी गति से चलनेवाला जलयान , तेज गति से चलनेवाले जलयान को अबाधित मार्ग प्रदान करने के लिए जलमार्ग पार करने के रूप में या अन्यथा कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा ।

नियम -15 गार्डेन रीच से नीचे जब कोई जलयान किसी दूसरे जलयान को ओवरटेक करने का इरादा रखता है तो ओवरटेक करनेवाले जलयान का प्रभारी पायलट उस समय अपने इरादे को जाहिर करते हुए भोंपू या सीटी पर एक लंबी सीटी बजाएगा जब वह उस जलयान की तीन गुना लंबाई से पीछे रहता है जिसे वह ओवरटेक कर रहा है ।

जिस जलयान को ओवरटेक किया जा रहा है उसका पायलट प्रत्युत्तर में यह निर्दिष्ट करने के लिए सीटी या भोंपू पर एक लंबी सीटी बजाएगा कि उसने अपने जलयान की रफ्तार धीमी कर दी है एवं वह अन्य जलयान को गुजरने का मार्ग देने के लिए तैयार है तथा यदि आवश्यक हुआ तो वह अपने इंजन को तबतक रोककर रखेगा जबतक ओवरटेक करनेवाला जलयान गुजर न जाए और मार्ग साफ न हो जाए ।

ओवरटेक करनेवाला जलयान उस जलयान का तबतक अतिछादन नहीं करेगा जिसे ओवरटेक किया जा रहा है जबतक प्रत्युत्तरस्वरूप लंबी सीटी नहीं बजती है। किसी जलयान के लिए किसी अन्य जलयान को नदी के वर्तनबिन्दु या मोड़ पर या जलमार्ग के किसी ऐसे भाग पर ओवरटेक करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा जो इतना संकीर्ण है कि कोई तीसरा जलयान सुरक्षित रूप से उससे न गुजर सके ।

नोट इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी 'वर्तनबिन्दु' या 'मोड़' से अभिप्रेत ऐसा स्थल होगा जहाँ जलयान के जलमार्ग में 22^{1/2} 0 से अन्यून का परिवर्तन आवश्यक हो।

नियम 16 यदि नौकर्षण सहित या उसके बिना दो जलयान किसी संकीर्ण जलमार्ग में या ऐसी जगह सम्मुख होते हैं जहाँ किसी तीसरे जलयान की उपस्थिति से उससे गुजरना कठिन हो जाता है तो ज्वार की विपरीत दिशा में जानेवाला जलयान अपनी गति तबतक कम करके रखेगा जबतक अन्य जलयान कठिनाई से मुक्त न हो जाए।

नियम 17 उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी कोई जलयान किसी दूसरे जलयान को नदी के निम्नलिखित भाग में मार्ग में ओवरटेक नहीं करेगा :

- (क) पाँचपाड़ा क्रॉसिंग से परे फोर्ट ग्लोस्टर बोया तक।
- (ख) पुजली क्रॉसिंग की पश्चिमी ओर से उलुबेड़िया गाँव के नीचे तक ।
- (ग) बिड़ला जूट मिल जेटी के बराबर से डेविल्स प्वाइंट के नीचे तक ।
- (घ) ब्रुल बाइट कॉलम से फिशरमैन प्वाइंट तक ।
- (ङ) फलता फ्लैट बोया से फलता प्वाइंट तक ।
- (च) निनान मार्क से पूर्वी गट बार के पार तक ।

नोट -

- (i) पूर्वी गट बार से दक्षिण-पश्चिम तक की सीमा को वाटरलू रेक बोया और फोर्ट मोरिंगटन फ्लैट बोया के बीच एक रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (ii) उपर्युक्त सीमा, आवश्यक समझे जाने पर, किसी सामान्य आदेश द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

नियम 18 कोई जावक जलयान भाटा के समय किसी जलयान को ओवरटेक करते समय फोर्ट ग्लोस्टर फ्लैट बोया से बजबज रीच के नीचे तक उसके स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा, उलुबेड़िया गाँव के नीचे से मोयापुर बार तक पत्तन की ओर से गुजरेगा, डेविल्स प्वाइंट के नीचे से रोयापुर बार तक उसके स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा, रोयापुर बार पार करने के बाद ब्रुल बाइट कॉलम तक पत्तन की ओर से गुजरेगा, फिशरमैन प्वाइंट से फलता फ्लैट बोया तक उसके स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा, और निनान रीच में उसके स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा।

नियम 19 कोई जावक जलयान ज्वार के समय किसी जलयान को ओवरटेक करते समय फोर्ट ग्लोस्टर बोया से बजबज रीच के नीचे तक उसके स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा।

ऐसा कोई जलयान किसी अन्य जलयान को -

- (क) पुजाली प्वाइंट से तबतक ओवरटेक नहीं करेगा जबतक वह उलुबेड़िया गाँव से नीचे सीधे जा रहा हो और उस समय उसे पत्तन की ओर से ही ओवरटेक किया जाएगा।
- (ख) मोयापुर बार पर तबतक ओवरटेक नहीं करेगा जबतक वह डेविल्स प्वाइंट के नीचे हो और उस समय उसे स्टारबोर्ड की ओर से ओवरटेक किया जाएगा।
- (ग) रोयापुर बार पर ओवरटेक नहीं करेगा।
- (घ) उसके पत्तन की ओर के सिवाय, ब्रुल बाइट कॉलम तक रोयापुर बार के पश्चिम की ओर से ओवरटेक नहीं करेगा।
- (ङ) उसके स्टारबोर्ड की ओर के सिवाय, फिशरमैन रीच के नीचे से फलता फ्लैट बोया तक ओवरटेक नहीं करेगा।
- (च) उसके स्टारबोर्ड की ओर के सिवाय, निनान रीच के नीचे ओवरटेक नहीं करेगा।

नियम 20 कोई जावक जलयान भाटा के समय किसी जलयान को ओवरटेक करते समय निनान रीच में उसके पत्तन की ओर से गुजरेगा, पश्चिमी फलता बोया से फिशरमैन प्वाइंट तक पत्तन की ओर से गुजरेगा, पश्चिमी किनारे पर ब्रुल बाइट कॉलम से रोयापुर बार तक स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा, रोयापुर बार के पूर्वी किनारे से डेविल्स प्वाइंट के नीचे तक पत्तन की ओर से गुजरेगा, उत्तर पश्चिमी किनारे पर मोयापुर बार के पार से उलुबेड़िया गाँव तक स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा और पुजाली प्वाइंट से फोर्ट ग्लोस्टर फ्लैट बोया तक पत्तन की ओर से गुजरेगा।

नियम 21 कोई जावक जलयान ज्वार के समय वाटरलू रेक बोया से फलता फ्लैट बोया तक किसी अन्य जलयान को ओवरटेक नहीं करेगा। ओवरटेक करनेवाला जलयान फलता फ्लैट बोया से फिशरमैन प्वाइंट तक उस जलयान के पत्तन की ओर से गुजरेगा जिसे वह ओवरटेक कर रहा है; ब्रुल बाइट कॉलम से रोयापुर बार के पश्चिमी किनारे तक उस जलयान के स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा जिसे वह ओवरटेक कर रहा है; रोयापुर बार के पूर्वी किनारे से डेविल्स प्वाइंट के नीचे तक उस जलयान के पत्तन की ओर से गुजरेगा जिसे वह ओवरटेक कर रहा है; मोयापुर बार के उत्तर-पश्चिमी किनारे से उलुबेड़िया गाँव तक उस जलयान के स्टारबोर्ड की ओर से गुजरेगा जिसे वह ओवरटेक कर रहा है; पुजाली क्रॉसिंग के पूर्वी किनारे से फोर्ट ग्लोस्टर फ्लैट बोया तक उस जलयान के पत्तन की ओर से गुजरेगा जिसे वह ओवरटेक कर रहा है।

नियम 22 (क) ज्वार में पश्चिमी गट की ओर नौचालन करनेवाला कोई आवक जलयान फलता बाइट के नीचे की ओर आनेवाले एवं निनान रीच के नीचे की ओर जानेवाले जलयानों के लिए पथ अबाधित रखेगा ; और यदि आवश्यक हो तो, अपनी रफ्तार कम करेगा , रुकेगा या ज्वार की ओर रुख करेगा जिससे जावक जलयानों को कोई बाधा न हो।

(ख) निनान रीच में पूर्वी गट, नूरपुर से आनेवाले किसी आवक जलयान के सम्मुख आने पर पर उसे अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 19 के अर्थान्तर्गत पारक जलयान माना जाएगा ।

नियम 23 साँझ होने के बाद और सबेरा होने के पहले गार्डेन रीच से हुगली प्वाइंट तक जलमार्ग में नौचालन करनेवाले सभी जलयान उत्तर डोल के पिछले भाग में खोल के ऊपर 20 फिट से अन्यून ऊँचाई पर, जहाँ से वह अच्छे से दिखाई पड़ सके, एक हरा प्रकाश प्रदर्शित करेंगे जो कम से कम दो मील की दूरी तक क्षितिज के चारों ओर दिखाई पड़े ।

नियम 24 किसी गहरे डुबाव वाले जलयान का कोई पायलट अपने जलयान को किसी बालू-रोध से बचाने के लिए आवश्यक होने पर निम्नलिखित अनिवार्य संकेत कर सकता है :

सीटी या भोंपू पर एक छोटे अंतराल पर दो लंबी सीटी बजाना ।

नोट इस प्रकार का संकेत दिए जाने पर उसे सुननेवाले सभी जलयानों के पायलट , कमांडर और सेरांग यह समझ जाएंगे कि इस प्रकार का संकेत देनेवाला जलयान ऐसी स्थिति में है कि वह अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर सकता है तब वे उस जलयान को अबाधित मार्ग देने के लिए चैनल को पार करने के रूप में या अन्यथा कोई बाधा खड़ी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी रफ्तार धीमी करेंगे एवं यदि आवश्यक हुआ तो, उसे अबाधित मार्ग देने के लिए अपना इंजन बंद कर देंगे।

नियम 25 यदि साँझ होने के बाद या सबेरा होने से पहले किसी समय जलमार्ग में अन्य जलयान के साथ नौचालन करनेवाले किसी जलयान को किसी समय किसी भी कारण से अपनी गति कम करने , लंगर डालने , किनारे पर पहुँचने या उथले पानी के ऊपर आने के लिए विवश होना पड़ता है तब वह सीटी या भोंपू पर सिलसिलेवार ढंग से छोटी सीटी बजाएगा ।

नियम 26 किसी भी कारण से ज्वार के साथ नीचे उतरनेवाला कोई जलयान कोहरा , धुंध, वर्षा, आंधी या इसी प्रकार की दृश्यता को बाधित करनेवाली किन्हीं अन्य परिस्थितियों में सीटी या भोंपू पर दो मिनट के अंतराल पर तीन लंबी सीटी बजाएगा ।

नियम 27 कोई जलयान मुड़ते समय निम्न प्रकार की ध्वनि निकालेगा :

(i) यह निर्दिष्ट करने के लिए चार छोटी सीटी और उसके बाद एक लंबी सीटी कि "वह स्टारबोर्ड की ओर मुड़ रहा है "।

(ii) यह निर्दिष्ट करने के लिए चार छोटी सीटी और उसके बाद दो लंबी सीटी कि "वह पत्तन की ओर मुड़ रहा है "।

नियम 28 जब किसी शक्ति-चालित जलयान के लिए किसी पाल –जलयान के पथ से हटना असुरक्षित या अव्यवहार्य हो, या किसी जलयान के स्टीयरिंग गियर या मुख्य इंजन में टूट-फूट होने के कारण वह नियंत्रण में नहीं हो तो वह इस स्थिति को द्रुत गति से सिलसिलेवार चार या उससे अधिक सीटी बजाकर व्यक्त करेगा ; ऐसी प्रत्येक सीटी लगभग दो सेकेंड तक बजेगी ।

नोट किसी शक्ति-चालित जलयान के स्टीयरिंग गियर या मुख्य इंजन में टूट-फूट होने के मामले में, यथासंभव शीघ्र, अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 4(क) में यथाउपबोधित संकेतक फहराए जाएंगे।

नियम 29 यदि साँझ होने के बाद या सबेरा होने से पहले कम गहराईवाले जलमार्ग में दो स्टीमर के किसी वक्र या मोड़ पर सम्मुख आने की संभावना हो तो ज्वार की विपरीत दिशा में जानेवाला स्टीमर, आवश्यक होने पर, तबतक अपनी गति कम कर देगा जबतक दूसरा स्टीमर गुजर न जाए।

नोट इस नियम के प्रयोजनार्थ और कम गहराईवाले जलमार्ग की बाबत 'वक्र' या 'मोड़' से अभिप्रेत ऐसा वक्र या मोड़ होगा जहाँ जलमार्ग के कछार में जलयान को अपने दिशाकोण में $22^{1/2}$ डिग्री तक परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े।

नियम 30(क) जब साँझ होने के बाद या सबेरा होने से पहले किसी कम गहराईवाले जलमार्ग में हॉस्पिटल प्वाइंट के नीचे जलयान एक ही दिशा में असमान गति से आगे बढ़ रहे हों तो धीमी गति से आगे बढ़नेवाला जलयान, तेज गति से आगे बढ़नेवाले जलयान को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने में चैनल को पार करने के रूप में या अन्यथा कोई बाधा नहीं डालेगा, बल्कि तेज गति से आगे बढ़नेवाले जलयान को अबाधित रूप से आगे जाने देने के लिए अपनी गति कम कर देगा।

(ख) यदि तेज गति से आनेवाले जलयान का पायलट आगे जाना चाहता है तो वह इस इरादे को सीटी या भोंपू पर एक लंबी सीटी बजाकर जाहिर करेगा।

(ग) ओवरटेक किए जानेवाले जलयान का पायलट, तेज गति से आनेवाले जलयान की आगे जाने की सूचना संबंधी लंबी सीटी सुनने पर, यदि संभव हो, अपने इंजन की गति संबंधी संकेत ओवरटेक करनेवाले जलयान को देगा।

नियम 31 जलमार्ग के किसी वक्र या मोड़ पर कोई जलयान दूसरे जलयान को पार नहीं करेगा और न ही कोई जलयान डायमंड हार्बर के नीचे किन्हीं बार पर किसी जलयान को ओवरटेक करेगा।

नियम 32 हुगली नदी में नौचालन करनेवाले सभी समुद्रगामी जलयानों से यह अपेक्षित है कि वे अंतर्राष्ट्रीय विनियम का पालन करें। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय विनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात अंतर्राष्ट्रीय विनियम के नियम 30 के अनुसार पूर्ववर्ती विशेष नियमों के प्रवर्तन में बाधा नहीं डालेगी।

नोट इसके अतिरिक्त निम्नलिखित का भी कड़ाई से पालन किया जाए

- (i) पाँचपाड़ा क्रासिंग से फोर्ट ग्लोस्टर फ्लैट बोया तक कोई जलयान दूसरे जलयान के सम्मुख नहीं आएगा। गार्डेन रीच से ज्वार में जावक जलयानों को आवक जलयानों के आगमन के पूर्व क्षेत्र खाली कर देना चाहिए। तथापि, आपात स्थिति में कोई आवक जलयान केवल पीर सेरांग में किसी जावक जलयान के सम्मुख आ सकता है।
- (ii) डेविल्स प्वाइंट में बिड़ला जेटी और सेंटर हीरागंज सैंड बोया के बीच कोई आवक जलयान किसी जावक जलयान के सम्मुख नहीं आएगा। जबतक जावक जलयान क्षेत्र को खाली नहीं करते हैं तबतक किसी आवक जलयान को मार्ग-अधिकार नहीं होगा।
- (iii) फालता रीच में फालता फ्लैट बोया और फालता प्वाइंट के बीच कोई जावक जलयान किसी आवक जलयान के सम्मुख नहीं आएगा।
- (iv) पूर्वी गट क्षेत्र में किसी जलयान का दूसरे जलयान के सम्मुख आने या ओवरटेक करने की सख्त मनाही है। कोई जावक जलयान नूरपुर कॉलम और वाटरलू रेक बोया एवं फोर्ट मोरिंगटन प्वाइंट को जोड़नेवाली रेखा के (पूर्वी गट क्षेत्र) बीच किसी आवक जलयान के सम्मुख नहीं आएगा।
- (v) यदि कोई आवक जलयान ज्वार के समय हुगली प्वाइंट में पूर्ण ज्वार आने पर तेलुबेड़िया क्रीक पार नहीं कर लेता है तो उसे पूर्वी गट में किसी जावक जलयान के सापेक्ष मार्ग-अधिकार नहीं होगा।
- (vi) कोई जलयान सिल्वर ट्री प्वाइंट में अपर सिल्वर ट्री बोया और अपर मड प्वाइंट बोया के बीच किसी दूसरे जलयान के सम्मुख नहीं आएगा। ज्वार के पीछे चलनेवाले जलयान को मार्ग-अधिकार होगा।